सप्तदश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–10

बुधवार, दिनांक–28 फरवरी, 2024 ई०।

मानननीय अध्यक्ष श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:58 बजे अपराह्न तक।

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।

(ii) 27 तारांकित प्रश्न उत्तरित।

(iii) 31 तारांकित प्रश्न अपृष्ट।

(iv) 144 तारांकित प्रश्न अनागत।

(v) तारांकित प्रश्न संख्या–1115 जल संसाधन विभाग में स्थानान्तरित।

प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांगों को लेकर शोरगुल एवं नारेबारी करते हुए वेल में आ गये। आसन द्वारा बार–बार उनसे अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते रहे और सदन से बहिर्गमन कर गये।

प्रश्नकाल के पश्चात विपक्ष के माननीय सदस्यगण पुनः सदन में वापस आ गये।

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

i. माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022–23 के प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे" को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखा गया।

ii. माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सम्राट चौधरी ने प्रस्ताव किया कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022–23 के प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो।"

प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

iii. माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम–2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेन्डर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

iv. माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार ने प्रस्ताव किया कि "यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन

01 अप्रैल, 2024 से सप्तदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परन्तुक के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें।"

प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार ने प्रस्ताव किया कि "यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 01 अप्रैल, 2024 से सप्तदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक के लिए गठन किये जाने वाले क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें।"

प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

vi. माननीय सभापति, लोक लेखा समिति, श्री तार किशोर प्रसाद द्वारा लोक लेखा समिति का 708वाँ, 709वाँ एवं 710वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

vii. माननीय सभापति, निवेदन समिति, श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन द्वारा निवेदन समिति का खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित 13वाँ प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 14वाँ प्रतिवेदन, पंचायती राज विभाग से संबंधित 15वाँ प्रतिवेदन एवं पथ निर्माण विभाग से संबंधित 16वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[3] <u>कार्यस्थगन प्रस्ताव</u> :-

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई, परन्तु आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा अपने कार्यस्थगन की सूचना को पढ़ा गया।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के उपरान्त आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम द्वारा अपने विधान सभा क्षेत्र संख्या-107 (दरौली) में किसानों को नीलगाय से हो रही समस्याओं के संबंध मे सूचना दी गयी।

[4] <u>शून्यकाल</u> :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:-

1.	श्री मोहम्मद अनजार नईमी	2.	श्री मुरारी मोहन झा
3.	श्री राम चन्द्र प्रसाद	4.	डॉ० निक्की हेम्ब्रम
5.	श्री अजय कुमार	6.	श्री उमाकांत सिंह
7.	श्री कृष्णनंदन पासवान	8.	श्री महा नंद सिंह
9.	श्री अखतरूल ईमान	10.	श्रीमती ज्योति देवी
11.	श्री अजीत कुमार सिंह	12.	श्री अनिल कुमार
13.	श्रीमती भागीरथी देवी	14.	श्री प्रमोद कुमार सिन्हा
15.	श्री कुंदन कुमार	16.	श्रीमती गायत्री देवी
17.	श्री विनय बिहारी	18.	श्री अरूण सिंह
19.	श्री सुनील मणि तिवारी	20.	श्री राम रतन सिंह
21.	श्री अचमित ऋषिदेव	22.	श्री ललन कुमार
23.	श्री जय प्रकाश यादव	24.	श्री अरूण कुमार सिंह
25.	श्री रामबली सिंह यादव	26.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
27.	श्री आलोक रंजन	28.	श्रीमती प्रतिमा कुमारी
29.	श्री अरूण शंकर प्रसाद	30.	श्री विद्या सागर केशरी
31.	श्री रणविजय साहू	32.	श्री विजय कुमार खेमका

33.	श्री अमरजीत कुशवाहा	34.	श्री मोहम्मद कामरान
35.	श्री सुदामा प्रसाद	36.	श्री राणा रणधीर
37.	श्रीमती निशा सिंह	38.	श्रीमती कविता देवी
39.	डॉ० सी०एन० गुप्ता	40.	श्री पवन कुमार यादव
41.	श्री सत्यदेव राम	42.	श्री कुमार शैलेन्द्र
43.	श्रीमती रश्मि वर्मा		

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

i. माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह एवं अन्य सभासदों का ऊर्जा विभाग से संबंधित तथा दिनांक–22 एवं 23 फरवरी 2024 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा दिया गया।

ii. माननीय सदस्य, श्रीमती शालिनी मिश्रा एवं अन्य सभासदों से प्राप्त परिवहन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्रीमती शालिनी मिश्रा द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

iii. माननीय सदस्य, श्री भाई वीरेन्द्र एवं अन्य सभासदों से प्राप्त खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री भाई वीरेन्द्र द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02:57 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[6] विधायी कार्य – राजकीय (वित्तीय) विधेयक :-

बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2024

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा "बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2024" को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव पर स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में विधेयक के सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

तदुपरान्त माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। स्वीकृति के प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपना–अपना पक्ष रखा:–

i. श्री समीर कुमार महासेठ
ii. श्री सुदामा प्रसाद
iii. श्री जीतन राम माँझी
iv. श्री अजय कुमार

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा "बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2024" पर अपना पक्ष रखा गया।

तत्पश्चात राजकीय वित्तीय विधेयक "बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2024" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[7] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 32 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक–29 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–28.02.2024

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।